

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] No. 343] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2019

का.आ. 456(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का सं. 21) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 28 जनवरी, 2019 को वह तारीख नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. 19017/01/2015-पोल-I]

नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2019

S.O. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018 (No.21 of 2018), the Central Government hereby appoints the 28th day of January, 2019 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 19017/1/2015-Pol.I]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

507 GI/2019